भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2395**

दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

**पीएमएमवीवाई के लाभार्थी**

**2395. श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रति वर्ष कुल कितनी माताएं और गर्भवती महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के लिए पात्र हो जाती हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पीएमएमवीवाई के दायरे में वार्षिक रूप से कुल कितने लाभार्थी शामिल किए हैं;

(ग) क्या पीएमएमवीवाई के लिए आबंटित बजट देश में सभी स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर,**

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत नामांकित पात्र लाभार्थियों की कुल संख्या और मातृत्व लाभ प्रदान करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

| **2020-21** | | **2021-22** | | **2022-23** | |
|---|---|---|---|---|---|
| नामांकित लाभार्थियों की संख्या | मातृत्व लाभ उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की संख्या | नामांकित लाभार्थियों की संख्या | मातृत्व लाभ उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की संख्या | नामांकित लाभार्थियों की संख्या | मातृत्व लाभ उपलब्ध कराए गए लाभार्थियों की संख्या |
| 64,07,657 | 45,19,454 | 51,44,981 | 32,91,186 | 58,86,564 | 47,09,737 |

(ग) और (घ) मिशन शक्ति के तहत समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ से वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पीएमएमवीवाई के तहत शामिल किया

जाता है। पीएमएमवीवाई के तहत किए गए आवंटन पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के लक्षित समूह को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। पीएमएमवीवाई के तहत वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) 2067.86 करोड़ रुपये है।

******